ओ0पी0 सिंह,
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या 37/2019
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
टावर-2, सिगनेचर बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
दिनांक:लखनऊ: अगस्त 29, 2019

विषय:-सिविल मिस रिट याचिका(सी) संख्या:24328/2019, सुमन अहिरवार व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया पत्र के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:591 रिट/छ:-पु-3-2019-2(344)पी/2019 दिनांक 16.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा परिजनों की इच्छा के विरूद्ध स्वेच्छा से विवाह किये जाने के प्रकरणों में व्यस्क/बालिग युवक एवं युवतियों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया गया है।

बालिग युवक एवं युवतियों द्वारा स्वेच्छा से किये गये अन्तर्जातीय विवाह/अन्तर्धर्मीय विवाह के मामलों में उन्हें उत्पीड़न न किये जाने एवं उनको सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र/निर्देश भी अनुपालनार्थ प्रेषित किये गये है।

डीजी परिपत्र संख्या:18/2003 दिनांक 07.08.2003
डीजी परिपत्र संख्या:18/2003 दिनांक 07.07.2010
डीजी परिपत्र संख्या:18/2003 दिनांक 30.01.2011
डीजी परिपत्र संख्या:18/2003 दिनांक 07.08.2013
डीजी परिपत्र संख्या:18/2003 दिनांक 09.06.2018

मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के आलोक में निर्गत शासनादेश में निम्नवत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है:-

(1) *यदि बालिग लड़के-लड़की द्वारा अन्तर्जातीय या अन्तर्धर्मीय विवाह किया जाता है, तो ऐसे दम्पति का न तो किसी के द्वारा उत्पीड़न किया जाये और न ही किसी प्रकार की धमकी दी जाये और न ही कोई हिंसात्मक कार्य किया जाये। ऐसा प्रकाश में आने पर उन व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा विधि के अनुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाये।*

(2) *''आनर किलिंग'' के मामलों में तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके विधि के अनुसार कार्यवाही की जाये और निष्पक्षता पूर्वक एक समयबद्ध अवधि में विवेचना का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किया जाये। विवेचना में वैज्ञानिक पद्धति का भी यथावश्यक प्रयोग किया जाये। इस प्रकार के मामलों की नियमित रूप से उच्च अधिकारियों के स्तर पर समीक्षा की जाये।*

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों एवं मा0 न्यायालयों द्वारा

Scanned by CamScanner

समय-समय पर पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से अवगत करा दें तथा ऐसे प्रकरणों में पूर्ण संवेदना बरतने एवं दम्पतियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

1-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned by CamScanner

फैक्स/प्राथमिकता/कोर्टकेस
संख्या-1054पी/छः-पु- 3-2019-2(344)पी/2019

753
22-8-19

प्रेषक,

भगवान स्वरुप,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री एम०सी०चतुर्वेदी,
अपर महाधिवक्ता,
मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 अगस्त, 2019

विषयः- सिविल मिस रिट पिटीशन (रिट-सी) संख्या-24328/ 2019 सुमन अहिरवार व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री रतन दीप मिश्रा, स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 19.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 19.08.2019 को पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेशों से अवगत कराते हुए सुनवाई की अगली तिथि 21.08.2019 होने की सूचना दी गयी है।

ADG(P)G

2. इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि सिविल मिस रिट पिटीशन (रिट-सी) संख्या-24328/2019 सुमन अहिरवार व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2019 को सुनवाई करते हुए निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैः-

GSO
21/8/19

"A personal affidavit on behalf of the Secretary (Home), U.P. Government, Lucknow has been filed. The same be taken on record. He states that various circulars have been issued by which the directions issued in the judgments of the Supreme Court have been complied with.

Put up this petition on 21.8.2019 as unlisted. On that date, the deponent shall by means of an affidavit inform the Court as to how the measures as have been enumerated by the Supreme Court in Shakti Vahini Vs. Union of India & Ors., (2018) 7 SCC 192, been taken note

ADJSP

22/8/19

अपर पुलिस महानिदेशक (लो०शि०),
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र०, लखनऊ।
22/8/2019

ASI(M) JKY
22.8.19.

Scanned by CamScanner

of. He shall also elaborate as to how the various preventive measures, remedial measures and the punitive measures have been taken.

Till then, the protection granted to the petitioners shall continue."

3. उल्लेखनीय है कि मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निर्णीत शक्ति वाहिनी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य (2018) 7 एससीसी 192 के अनुपालन के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के क्रियान्वयन होने में कुछ समय लगने की संभावना है, जिसके कारण मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 19.08.2019 के अनुपालन में प्रतिशपथ दाखिल किये जाने के लिये 02 सप्ताह का समय प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है, तथापि मा० उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका (सिविल) संख्या-231/2010 शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ व अन्य में ऑनर किलिंग के संबंध में पारित दिशा निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक (वि०प्र०), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 24.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (प्रभारी जनपद), उ०प्र० को निर्देशित कर दिया गया है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय से 02 सप्ताह का समय प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

20/8/19

(भगवान स्वरूप)
सचिव।

संख्या- (1)रिट/छः-पु- 3-2019-2(344)पी/2019 व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री रतन दीप मिश्रा, स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र दिनांक 19.08.2019 के संदर्भ में।
3. पुलिस अधीक्षक, ललितपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया किसी राजपत्रित अधिकारी को नामित करते हुए निर्देशित करें कि वे श्री एम०सी०चतुर्वेदी, अपर महाधिवक्ता एवं स्थायी अधिवक्ता , मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें एवं मा० उच्च न्यायालय में सुनवाई की तिथि व समय पर उपस्थित रहें। कृपया मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से दिनांक 21.08.2019 को ही अवगत कराने का कष्ट करें।

20/8/19

आज्ञा से,

(भूमेन्द्र एस०चौधरी)
विशेष सचिव।

cc

Scanned by CamScanner